<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 60/2021

1 फूलचन्द उम्र 60 वर्ष पुत्र बूजन।
2 ग्यारसीलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र बूजन।
3 सरदार सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र बूजन समस्त जाति जाट निवासीगण सेडू का बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 देशराज उर्फ देशराज पुत्र रामजीलाल उम्र 43 वर्ष जाति जाट निवासी सेडू का बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09.07.2021
मुकदमा नम्बर 257/2021 बउनवानी देशराज
बनाम फूलचन्द वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.ए.

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 21.09.21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 257/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 24 ग्राम सेडू का बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर बाबत धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से दिनांक 09.07.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी एवं आवेदन मे किये गये अभिवचनों एवं अभिकथनों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 0.65 हैक्टेयर में रेस्पोडेंट का हिस्सा 121/9720 है जो कुल भूमि 8 वर्गमीटर बनती है। जिसमे रेस्पोडेंट के अभिकथनानुसार मकान बने होना व सींव पर डोल लगा होना कथई सम्भव नहीं है। जिस पर बिना कोई गौर किये विचारण न्यायालय ने अपीलांट को मकान निर्माण के लिये प्रतिबंधित कर गम्भीर कानूनी त्रुटि की है इसलिये आदेश दिनांक 09.07.2021 निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील एकपक्षीय अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय में चाराजोही का अवसर प्राप्त है। अन्तरिम आदेश के विरूद्व अपील पोषणीय नही है। धारा 212 का अन्तिम निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एकपक्षीय अन्तरिम आदेश के विरूद्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय में चाराजोही का अवसर प्राप्त है। धारा 212 का अन्तिम निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। न्यायहित में आदेश 39 नियम 3 की पालना में विचारण न्यायालय को दो माह में धारा 212 के अन्तिम निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी दो माह में उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के आवेदन का अन्तिम रूप से निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 21.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर